


बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

॥ अधिसूचना ॥

पटना-15, दिनांक- 07.6.2017

संख्या-12/प0-(मू0को0) 5001/2015-सा0प्र0- 6895 /श्री योगेन्द्र सिंह (भा0प्र0से0-2013), अनुमंडल पदाधिकारी, पटनासिटी के अवकाश अवधि तक के लिए श्री ललित भूषण रंजन, बि0प्र0से0, को0 क0-1113/11, भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटनासिटी को अनुमंडल पदाधिकारी, पटनासिटी के रूप में कार्य करने हेतु विशेष परिस्थिति में भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974) की धारा-20 के अन्तर्गत संबंधित अनुमंडल क्षेत्र के लिए कार्यपालक दंडाधिकारी की शक्तियाँ प्रदत्त की जाती है । साथ ही उन्हें संबंधित जिला में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974) की धारा-144 का प्रयोग करने हेतु भी शक्तियाँ प्रदत्त की जाती है ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,


(भीम प्रसाद)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-12/प0-(मू0को0)5001/2015-सा0प्र0- 6895 /पटना, दिनांक- 07.6.2017

प्रतिलिपि-प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ (आई0 टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, पटना के माध्यम से)/महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/प्रबंधक, आई0टी0, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाइड पर अपलोड हेतु/संबंधित पदाधिकारी/प्रशाखा-2 एवं चारित्री कोषांग, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।



सरकार के संयुक्त सचिव